

नियम 109 : संशोधन करने की साधारण शक्ति

अपील अधिकरण, अभिवचनों के पूरा होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, और लागत या अन्यथा ऐसे निबंधनों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, अपने समक्ष किसी कार्यवाही में किसी त्रुटि या दोष को संशोधित कर सकेगा और ऐसी कार्यवाही द्वारा उठाए गए या उस पर निर्भर वास्तविक प्रश्न या मुद्दे को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
